(c) The number of porters required to perform parcels handling work and other miscellaneous items of work was assessed at 110.

Train Accidents

4860. SHR1 V. M. SUDHEERAN; Will the Minister of RAIIAVAYS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware of the increasing number of train accidents;
- (b) whether Government received any report on this rail accident at Valachive near Kottayam;
 - (c) the details of the damages; and
 - (d) the steps taken therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAHLWAYS (SHRI) SHEO NARAIN); (a) During July, 1978, there were 75 train accidents in the categories of collisions, detailments, level crossing accidents and lires in trains on the Indian Government Railways against 95 and 88 train accidents in May, 1978 and June, 1978 respectively.

- (b) Presumably, the reference is to the derailment of 47 Up Trivandrum-Cannonore Express between Kuruppantara and Piravam Road stations of Southern Railway on 1-8-1978. The report of the Additional Commissioner of Builways Safety, who inquired into this accident, has not yet been received.
- (c) The cost of damage to railway property involved in this accident has been estimated at approximately Rs. Bo,000/-.
- (d) Since human failure is the largest single factor responsible for accidents, Safety Organisations on the Railways have been engaged in a relentless campaign to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods that may lead to accidents. In order to reduce dependence on human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track-circuiting, axle counters, automatic warning system, etc. are being introduced progressively. It has been decided to complete track-circuiting on run-through lines on all the stations on runk routes by 1981. In addition, track-circuiting of 100 vulnerable stations from fouling mark to Advanced Starter will be completed by 30-9-1979.

तदर्व कर्वचारियों को नियमित करना

4861. श्री श्रार० एन० राकेश: नया रेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार उन तदर्व कर्मचारियों को नियमित करने का है जो सक्षम प्रधि-कारियों द्वारा नियुक्त किये गये थे ;
- (अ) यदि हां, तो रेलवे बांड के श्रेणी III के उन तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के प्रभी तक श्री कार्य आदेश जारी त कि आदेश जारी ने कि जारे के क्या कारण हैं जो वर्ष 1975-76 में सक्षम प्रधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गर्य थे;
- (ग) क्या उनके द्वारा 11-6-77 की लोक सभा में घोषित वह नीति वर्ष 1975-76 में सक्षम अधिकारियों द्वारा नियुक्त रेलवे बोर्ट के सदर्थ कर्मचारियों पर लागू नहीं होती कि सक्षम अधिकारियों होरा नियुक्त तदयें कर्मचारियों होरा नियुक्त तदयें कर्मचारियों हो नियमित कर दिया जायेगा;
- (प) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा भीर यदि नहीं, तो उन के सम्बन्ध में यह नीति लागु क्यों नहीं की गई है : भीर
- (ङ) क्या सरकार का विचार जिनको क्षेत्रीय रेलवे में प्रथवा रेलवे सेवा प्रायोग में खपान का है भीर मदिहां, तो कब तक और मदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) से (घ). 1976 में जो विशेष कर्मचारी तदर्ध झाधार [पर नियुक्त किये गये चे के हिन्दी टाइप जानने वाले क्लकों को कभी को पूरा करने के लिए थे। उनकी नियुक्त विशेष रूप से चोड़ी अबधि के लिए इस सर्त के झाधार पर की गई थी कि जब भी नियमों में की गई ध्यवस्था के झनुसार निर्धारित कोत से झहेता-प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे इन्हें हटा दिया जायेगा।

इन सभी तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को तब तक नियमित नहीं किया जा सकता जब तक बे मोग कर्मचारी चयन मायोग द्वारा जी जाने वाली परीक्षा पास नहीं कर केते और कार्मिक विभाग द्वारा नामित नहीं किये जाते।

(क) इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय रैलों [मैं समाहित करने के प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक ये लोग रेल सेवा सामोग द्वारा भी जावे वाली परीक्षा पान नहीं कर् भेते और उनके द्वारा नामित नहीं किसे आते ॥